



प्रेषक,  
संचल कुमार सिवारी  
प्रमुख अभियंता  
उत्तर प्रदेश शासन।

S/211/400/2194

सेवा में,  
(1) सप्तसत जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक,  
पंचायती राज,  
उ.प्र. शासन,  
लखनऊ।  
दिनांक: 02 सितम्बर 2014

पंचायती राज अनुभाग-3

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अद्यतन कराने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास के संबंध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्येष्टि स्थलों के नागरिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा अंत्येष्टि स्थलों का विकास का निर्णय लिया गया है जिसके संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका / कार्ययोजना निम्नानुसार है-

1. उद्देश्य

- (1) शव की अंत्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक पर्याप्त उपलब्ध कराया जाना।
- (2) अंत्येष्टि स्थल में शव के साथ उपस्थित जनों को मूलभूत सुविधाएं यथा- पेयजल एवं शौच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
- (3) शवदाह हेतु लकड़ियों की उचित व सुलभ व्यवस्था (तकनीकी) का टाल स्थापित किया जाना।
- (4) इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायें कि यह प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के प्रयोग किया जा सकें।
- (5) अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को सक्षम किया जाना।

2. कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज निदेशालय व उसके नियंत्रणाधीन जिला पंचायत राज अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कार्य एसी ग्राम पंचायत जिसके भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित अंत्येष्टि स्थल स्थापित है, द्वारा किया जायेगा। इस हेतु शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित/संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

3. संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए तकनीकी सहायता जिला पंचायत के तकनीकी स्टाफ, विकास स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा लघु सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला स्तर पर तैनात सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. प्रत्येक चयनित अंत्येष्टि स्थल में निम्नलिखित अवस्थापना सुविधायें निर्मित / व्यवस्थित की जायेगी:-

- अंत्येष्टि स्थल रोड़ (12मीटर X 05 मीटर) (दो शवदाह हेतु) -1
- लोगों के बैठने के लिए शान्ति स्थल (08 मीटर X 06 मीटर) -1
- लकड़ी भण्डार गृह (04 मीटर X 04 मीटर) -1
- शौचालय एवं स्थान घर (4.5 मीटर X 1.5 मीटर) -1
- शवदाह स्थल पर इण्टर लाकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य।
- स्थान हेतु चबूतरा निर्माण (03 मीटर X 1.2 मीटर) -1
- हैण्डपम्प की व्यवस्था एवं जल निकासी इत्यादि।

5- चूंकि उक्त अवस्थापना सुविधायें ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी एवं ग्राम पंचायत द्वारा ही उनका निर्माण/ विकास किया जायेगा, अतः निर्माण होने के पश्चात आगामी वर्षों में अनुरक्षण पर व्यय ग्राम पंचायत द्वारा 13वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि / स्वयं के स्रोतों से आय से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थल प्रयोग करने वाली अन्य ग्राम पंचायतों द्वारा भी संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से उपर्युक्त योजनाओं से अनुरक्षण पर धनराशि व्यय की जा सकेगी।

6. जनपदों में अंत्येष्टि स्थल का चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा:-

6.1 प्रत्येक जनपद में ऐसे अंत्येष्टि स्थलों का वरीयता क्रम में चयन किया जाय जहां अधिकतम शवों का दाह किया जाता है।

2758

निदेशक (विशेष) (ए)

अ

निदेशक  
219114

6.2 प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकतम प्रयोग की परीयता छत्र में अंत्येष्टि स्थलों का चिन्हांकन ग्राम पंचायत सचिव की सहायता से संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा किया जायेगा। उक्त चिन्हांकन में अंत्येष्टि स्थल में प्रति वर्ष अंत्येष्टि किये गये शवों की संख्या, उपलब्ध भूमि के ग्राम सभा/सार्वजनिक स्वामित्व में होने, उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल, अंकित सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रयोज्य स्थान आदि का उल्लेख किया जायेगा।

6.3 अंत्येष्टि स्थल नदियों के किनारे अथवा अन्य सुरक्षित स्थलों पर बनाए जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार स्थलों का चयन किया जायेगा।

6.4 अंत्येष्टि स्थलों का अंतिम चयन जनपद स्तर पर गठित निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक/सदस्य

7. प्रदेश के सभी जनपदों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत सभी विकास खण्डों को बराबर संख्या में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि प्रदान की जायेगी।

8. अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य दिशा-निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता संबंधित जनपद में तैयार जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुसार संबंधित विद्वान अंत्येष्टि स्थल से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा रखा जायेगा।

10. अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु शासन द्वारा निर्देशक, पंचायती राज, 30प्र० के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे घयनित /संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगी। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

11. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्देशक, पंचायती राज, 30प्र० द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यपूति एवं धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी संपूर्ण जनपद के पंचायतों को दी गयी धनराशि का स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र निर्देशक, पंचायती राज, 30प्र० को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. उक्त निर्माण का अनुश्रवण निर्देशक, पंचायती राज 30प्र० द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

13. जिला पंचायत से प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का प्रारम्भिक तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु लागत के आकलन के अनुसार संबंधित जनपदों हेतु अंत्येष्टि स्थलों के लिए धनराशि-शासन द्वारा निर्देशक, पंचायती राज, 30प्र० के निवर्तन पर रखी हेतु निर्गत की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना का क्रियान्वयन सख्त सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
( चंचल कुमार तियारी )  
प्रमुख सचिव

- संख्या 1054 दिनांक 27/05/2014
- प्रतिष्ठित- निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु धरित:-
- 1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - 2- स्टाफ आफिसर, सूचि उत्पादन आशुअल, 30प्र० शासन।
  - 3- सहायक सखडचासुअल 30प्र०।
  - 4- सहायक मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - 5- सहायक सखडलीय उप निर्देशक(पं०) उत्तर प्रदेश।
  - 6- सहायक अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर प्रदेश।
  - 7- सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आका से,  
( प्रेम लक्ष्मण )  
विशेष सचिव।

S/211/3/245

संख्या-3580(17)/33-3-2014-100(21)/2014

प्रेषक,  
बिमल चन्द्र श्रीवास्तव  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
पंचायती राज  
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 3 दिसम्बर 2014

विषय:-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/558(3)/2014-5/52/2013, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण का मानकीकरण संबंधी प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तावित लागत रू०15.14 लाख व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रायोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.12.2014 में सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित मानकीकृत लागत रू० 15.14 लाख के सापेक्ष रू० 14.87 लाख की लागत पर अनुमोदित करते हुए निम्न निर्देश दिये गये :-

(1) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनुरोधितियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस०ओ० आर० पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2- अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कृष्ट करें।

⑪  
उप निदेशक (पंचायत)

निदेशक  
01/11/14

02/12/14

01/12/14

19035 श्रीवास्तव  
आचार्य श्रीवास्तव  
21/11/14

अवदीय,  
(बिमल चन्द्र श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव।

रागिनी सिंह,  
निदेशक,



बैठक / महत्वपूर्ण  
दस्तावेज: 2237604 (काठ)

अ0शा0प0सं0-333/प्रा0र0म0प्र0/14

व्यय वित्त समिति सचिवालय  
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)  
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश  
628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनांक : 01 दिसम्बर, 2014

प्रिय महोदय,

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02-12-2014 को अपराह्न 4.00 बजे से सचिवालय नवीन भवन स्थित कक्ष संख्या 84 में आयोजित की गयी है। बैठक का एजेण्डा तथा विभाग से सम्बन्धित मूल्यांकन टिप्पणी संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

2- प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव व्यय वित्त समिति के सदस्य हैं परन्तु विगत बैठकों में यह देखा गया है कि प्रायः विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव समिति की बैठकों में स्वयं उपस्थित न होकर कनिष्ठ अधिकारियों को भेज देते हैं जिससे प्रायोजनाओं पर सम्यक् विचार-विमर्श नहीं हो पाता है।

3- अतः मुझे यह भी अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, जो व्यय वित्त समिति के सदस्य हैं, कृपया व्यय वित्त समिति की बैठक में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें जिससे सामूहिक विचार-विमर्श द्वारा प्रायोजनाओं एवं अन्य आवश्यक नीतिगत विषयों पर समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जा सके, अन्यथा की स्थिति में प्रायोजना पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अनुरोध है कि कृपया बैठक में ससमय भाग लेने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीया,

(रागिनी सिंह)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

श्री चंचल कुमार तिवारी,  
प्रमुख सचिव,  
पंचायती राज विभाग,  
उ० प्र० शासन।

श्री चंचल कुमार तिवारी - 80

अम

02-12-14

दिनांक 02-12-2014 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का एजेण्डा

(अ) दिनांक 20-11-2014 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

(ब) प्रायोजनाओं पर विचार

लोक निर्माण विभाग (4.00 बजे से 4.30 बजे तक)

1. जनपद आगरा में मलपुरा-इटौरा मार्ग पर झांसी-आगरा रेल सेक्शन में रेलवे कि०मी० 1535/28-30 के रेल सम्पार सं०-490सी पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 2938.20 लाख)
2. जनपद कौशाम्बी में मूरतगंज से मंझनपुर मार्ग (लम्बाई 18.500 कि०मी०) का चौड़ीकरण (चार लेन मार्ग) कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 10511.40 लाख)
3. जनपद मऊ में टॉस नदी पर लारी पैलेस मार्ग ढकुलिया घाट पर सेतु पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्यों से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 816.58 लाख)

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (4.00 बजे से 4.30 बजे तक)

4. जनपद लखनऊ वाराणसी मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग 24 बी) चौड़ीकरण कार्य 2.700 कि०मी० का पुनरीक्षित आगणन/प्रस्ताव (प्रस्तावित लागत रू० 3509.34 लाख)

नगर विकास विभाग (4.30 बजे से 4.45 बजे तक)

5. जनपद आगरा के यमुनापार क्षेत्र कालिन्दी विहार एवं नरायच क्षेत्र में पेयजल जलापूर्ति सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 3481.85 लाख)
6. राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद बिजनौर की नगर पालिका परिषद चांदपुर नगर की पेयजल पुनर्गठन सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 4263.13 लाख)

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (4.30 बजे से 4.45 बजे तक)

7. नगरीय उन्मूलन जे०एन०एन०यू०आर०एम० के उपघटक आई०एच०एस० डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद मिर्जापुर में सबरी दक्षिणी एवं चन्द्रदीपा मलिन बस्तियों हेतु स्वीकृत परियोजना 853 नग में सर्रेन्डर उपरान्त संशोधित-850 नग आवासों के निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 2511.73 लाख)

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (4.30 बजे से 4.45 बजे तक)

8. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में वैटनरी कालेज के अन्तर्गत वैटनरी पाली क्लीनिक का निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 2971.46 लाख)

माध्यमिक शिक्षा विभाग (4.45 बजे से 5.15 बजे तक)

9. राजकीय बालिका इण्टर कालेज में आधुनिक शौचालयों के निर्माण हेतु शुलभ इण्टर नेशनल द्वारा प्रस्तुत डल एवं डिजाइन का मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 18.93 लाख)

पंचायती राज विभाग (4.45 बजे से 5.15 बजे तक)

10. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण का मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 15.14 लाख)

प्राविधिक शिक्षा विभाग (4.45 बजे से 5.15 बजे तक)

11. जनपद सिद्धार्थनगर में महामाया आई०टी० पॉलीटेक्निक के अनावासीय/आवासीय भवनों का निर्माण सम्बन्धी विस्तृत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 1204.75 लाख)

न्याय विभाग (4.45 बजे से 5.15 बजे तक)

12. जनपद लखीमपुर खीरी में 12 कोर्ट रूम के निर्माण सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 1493.54 लाख)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (5.15 बजे से 5.30 बजे तक)

13. नानक सागर बांध की क्षमता पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 2899.00 लाख)

पशुधन विभाग (5.30 बजे से 5.45 बजे तक)

14. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगंजरिया, लखनऊ में डेयरी हेतु उपलब्ध भवनों/सुविधाओं को नेबलेट, बाराबंकी में (गायों/बछड़ों हेतु शेड, पोल्ट्री/बटेर शेड, कैटल फीड, ई०टी०टी० लैब, मिल्किंग प्लांट, कैटल फीड प्लांट तथा श्रेणी-4, श्रेणी-3, श्रेणी-2, श्रेणी-1 के आवास) पुनर्स्थापित करने हेतु उच्चकृत एवं आधुनिकीकरण किये जाने से सम्बन्धित प्रथम चरण के कार्यों का पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 8049.21 लाख)

15. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगंजरिया, लखनऊ में उपलब्ध भवनों/सुविधाओं को रहमान खेड़ा, लखनऊ में (अतिहिमीकृत केन्द्र, बुल शेड, चारा हेतु शेड तथा श्रेणी-4, श्रेणी-3, श्रेणी-2 तथा श्रेणी-1 के आवास) पुनर्स्थापित करने तथा उन्हें उच्चकृत एवं आधुनिकीकरण करने के कार्य से सम्बन्धित प्रथम चरण के कार्यों का पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 3758.26 लाख)

गृह विभाग (5.45 बजे से 6.00 बजे तक)

16. जनपद आजमगढ़ में निर्माणाधीन जिला कारागार के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 11797.56 लाख)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (6.00 बजे से)

17. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एत्मादपुर जनपद आगरा का भवन निर्माण सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 203.79 लाख)

18. जनपद गाजियाबाद में 08 बाड़ी चीरघर के निर्माण सम्बन्धी विस्तृत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 103.87 लाख)

(स) अन्य कोई बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

+++++

गोपनीय  
(केवल व्यय वित्त समिति उपयोगार्थ)

मानकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण का  
मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन  
(प्रस्तावित लागत रू० 15.14 लाख)

मूल्यांकन टिप्पणी

प्रस्तावक विभाग  
पंचायती राज विभाग  
उ०प्र० शासन

व्यय वित्त समिति सचिवालय  
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)  
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,  
छठां तल, योजना भवन, लखनऊ।  
(दिसम्बर, 2014)

मनोज कुमार श्रीवास्तव, अपर सांख्यिकीय अधिकारी

मानकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण का  
मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन  
(प्रस्तावित लागत रू0 15.14 लाख) ,  
कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग, उ0प्र0

मूल्यांकन टिप्पणी

1.0-प्रायोजना प्रस्ताव

- 1.1- पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण का मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 15.14 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है।
- 1.2- सन्दर्भित प्रस्ताव/आगणन के मानचित्र एवं कुर्सी क्षेत्रफल मुख्य-वास्तुविद लोक निर्माण विभाग लखनऊ एवं तदनुसार गठित प्रस्ताव/आगणन मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक 3487 जी/7/(1)बी0पी0विंग/2014 दिनांक 10-11-2014 (संलग्नक-1) उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- 1.3- प्रायोजना प्रस्ताव के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 10-11-2014 में उल्लेख किया गया है कि मानचित्र में प्राविधानित लकड़ी के स्टोर की लागत सम्मिलित नहीं की गई है। लकड़ी के स्टोर तथा अंत्येष्टि स्थल पर इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से कराया जायेगा।
- 1.4- प्रायोजना का वित्त पोषण वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु रू0 10000.00 लाख का बजट प्राविधान है इसी धनराशि से प्रश्नगत कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
- 1.5- प्रायोजना का आगणन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 द्वारा तैयार किया गया है, जो निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व निदेशक, पंचायती राज द्वारा संस्तुत है तथा मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण-विभाग द्वारा परीक्षित व अनुमोदित है तथा प्रमुख सचिव, पंचायती राज द्वारा अनुमोदित है।

2.0- प्रायोजना के उद्देश्य-

- 2.1- शव की अंत्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाना।
- 2.2- अंत्येष्टि स्थल में शव के साथ उपस्थित जनों को मूलभूत सुविधायें यथा- पेयजल एवं शौच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।



- 2.3- शवदाह हेतु लकड़ियों की उचित व सुलभ व्यवस्था हेतु लकड़ी का टाल स्थापित किया जाना।
- 2.4- इस प्रकार की अवस्थापना सुविधायें विकसित की जाय कि वह प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के प्रयोग किया जा सके।
- 2.5- अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को सक्षम किया जाना।

**3.0- आवश्यकता एवं औचित्य**

प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्येष्टि स्थलों के नागरिक अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रायोजना का गठन किया गया है।

**9.0- प्रायोजना प्राविधान**

क्र०सं०	कार्यमद	इकाई	मानकीकृत हेतु प्रस्तावित मात्रा	
1	अंत्येष्टि स्थल	व०मी०		
1	अंत्येष्टि स्थल शंड		12mx6 m.	72.00
	आफिस		6mx3m	18.00
2	नागरिकों के बैठने हेतु शान्ति स्थल		9mx6m	54.00
4	शौचालय		9.86mx1.5m	14.79
	<b>योग</b>			<b>158.79</b>
5	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न०		जाब
6	हार्टीकल्चर एवं प्लान्टेशन	जाब		जाब
7	शवदाह का प्लेट फार्म	न०		जाब

**5.0- दरें :-**

प्रायोजना प्रस्ताव/आगमन का गठन लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01-08-2014 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। तदनुसार प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का परीक्षण किया गया है।

**6.0- लागत विश्लेषण:-**

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:-

(लागत ₹० लाख में)

क्र० सं०	मद विवरण	इकाई	प्रस्तावित लागत			आंकलित लागत		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
A	सिविल कार्य		वर्ष 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर		
1	कुल क्षेत्रफल	व०मी०	158.79	7700.00	12.23	158.79	7700.00	12.23
2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न०	1.00	125000.00	1.25	1.00	100000.00	1.00
3	हार्टीकल्चर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	10000.00	0.10	1.00	10000.00	0.10

4	शवदाह का प्लेट फार्म	न0	2.00	10000.00	0.20	2.00	10000.00	0.20
	योग				13.77			13.52
5	आकस्मिक व्यय	लाख रू0	13.77	2%	0.28	13.52	2%	0.27
	योग				14.05			13.79
6	5 प्रतिशत की कमी	लाख रू0		-5%	0.00	13.79	-5%	-0.69
	योग				14.05			13.10
7	सेन्टेज चार्जेज	लाख रू0	13.77	6.875%	0.95	13.10	12.50%	1.64
8	लेबर सेंस	लाख रू0	13.77	1.0%	0.14	13.10	1.0%	0.13
	प्रायोजना की कुल लागत				15.14			14.87

13.1

**7.0-प्रभाग की टिप्पणी**

- 1- पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्येष्टि स्थलों के निर्माण का मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 15.14 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। प्रायोजना की प्रस्तावित मानकीकृत लागत रू0 15.14 लाख सापेक्ष लागत रू0 14.87 लाख आंकलित की गई है।
- 2- प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
- 3- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- 4- प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 5- संदर्भित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरो के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- 6- प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।
- 7- प्रशासकीय विभाग द्वारा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाय।

+++++

(संलग्नक)

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ०प्र०**  
**लोक निर्माण विभाग, लखनऊ**  
**(भवन वर्ग)**

पत्रांक: 34876/710 बी०पी०वि०/2014  
सेवा में:

दिनांक: 10-11-2014

निदेशक,  
पंचायती राज, उ०प्र०  
जवाहर भवन, लखनऊ।

विषय: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

- संदर्भ: 1. आपके कार्यालय का पत्रांक-5/शा/558/2014-5/52/2013 दि० 13.10.2014 ।  
2. आपके कार्यालय का पृष्ठांकन पत्र दि० 22.10.2014 ।  
3. ज्येष्ठ वास्तुविद् तृतीय इकाई कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० लखनऊ का पत्रांक-350एस०ए०-3/56एस०ए०-3/14 दि० 07.11.2014 ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के उपरोक्त पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के सम्बन्ध में आगणन एवं मानचित्र मानकीकरण की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित अंत्येष्टि स्थल का, मुख्य वास्तुविद् लो०नि०वि० लखनऊ द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों/संशोधनों के पश्चात् अनुमोदित मानचित्र, ज्येष्ठ वास्तुविद् तृतीय इकाई कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० लखनऊ के पत्रांक-350एस०ए०-3/56एस०ए०-3/14 दि० 07.11.2014 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। मुख्य वास्तुविद् द्वारा अनुमोदित मानचित्र एवं दि० 01.08.14 से प्रभावी लो०नि०वि० की कुर्सी क्षेत्रफलों की दरों के आधार पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास के आगणन (लागत रू० 15.14 लाख) का मानकीकरण हेतु परीक्षण किया जाता है। इस आगणन में निदेशक पंचायती राज, द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिये गये निर्देशानुसार, मानचित्र में प्राविधानित लकड़ी के स्टोर की लागत सम्मिलित नहीं की गयी है। लकड़ी के स्टोर तथा अंत्येष्टि स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से कराया जायेगा।

संलग्नक- आगणन दो प्रतियों में।

भवदीय



(एस०पी० सर्वसीना) 14

मुख्य अभियन्ता (भवन)

लो०नि०वि०, लखनऊ।

दिनांक:

पत्रांक: / बी०पी०वि०/2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उ०प्र०शासन लखनऊ ।
2. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जवाहर भवन लखनऊ ।
3. मुख्य वास्तुविद्, लो०नि०वि०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वर्तमान में मुख्य वास्तुविद् एवं ज्येष्ठ वास्तुविद्, तृतीय इकाई का कार्यभार आपके पास ही है। अतः अनुमोदित मानचित्रों की प्रतियाँ मुख्य वास्तुविद् के पदनाम से ही प्रेषित किया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा।
4. अवर अभियन्ता (प्रा०), मार्ग सर्वेक्षण खण्ड-3, लो०नि०वि० लखनऊ को आगणन की एक प्रति के साथ ।

मुख्य अभियन्ता (भवन)

